प्रेस विज्ञप्ति

10.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सुरेंद्र पंवार, विधायक, कांग्रेस, सोनीपत (पूर्व निदेशक और वर्तमान में मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारक) और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अंबाला, हरियाणा के समक्ष 16/09/2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने वर्तमान शिकायत पर 09.12.2024 को संज्ञान लिया है। इस मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20 जुलाई, 2024 को सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को भी इस मामले में 08.01.2024 को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा भादस, 1860 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो जिला यमुनानगर में रेत, पत्थर-बजरी और पत्थर -बजरी-रेत की अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित/संबद्ध है।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति/संस्थाएं यमुनानगर में खनन सिंडिकेट का हिस्सा हैं जो अवैध खनन गतिविधियों में शामिल हैं। सिंडिकेट ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित खनन नीलामी में भाग लिया, और सामूहिक रूप से विभिन्न पट्टे अवधि के लिए लगभग 10 खनन लाइसेंस प्राप्त किए। तदनुसार, खान और भूविज्ञान विभाग और संबंधित खनन इकाई के बीच निष्पादित खनन अनुबंधों के अनुसार आवंटित क्षेत्रों से रेत, पत्थर और बजरी और पत्थर -बजरी-रेत की खुदाई के लिए सिंडिकेट को खनन ब्लॉक आवंटित किए गए थे। सिंडिकेट विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अवैध खनन गतिविधियों में शामिल था जैसे खनन अनुबंध के अनुसार अनुमत गहराई से अधिक खुदाई करना, अनधिकृत भूमि क्षेत्रों से खनन करना, किसी भी यादृच्छिक वाहन संख्या के लिए नकली ई-रवाना तैयार करना, जांच के दौरान, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, आरोपी सुरेन्द्र पंवार और संस्थाओं को धन शोधन के अपराध में संलिप्त पाया गया, जिसके कारण पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों से संबंधित अवैध खनन गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) का अधिग्रहण, छिपाव और उपयोग किया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि इस तरह की अवैध खनन गतिविधियों से कुल 300 करोड़ रुपये से अधिक की पीओसी का पता चला है। इस मामले में 145 अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए 121.70 करोड़ रुपये का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।

आगे की जांच जारी है।